

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)  
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 147/2021

GCMS NO- 2021/260

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

दलिप सिंह

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 12.03.2022

पार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी ताल्लुका पचेरी कला आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सहड़ का राजस्व की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	सहड़ का बास	12	रिशाल सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर	रिशाल सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति राजपूत

प्रीकांत)  
सदस्य  
धिवक्ता

(सुनील कुमार चौहान)  
आर.ए.एस  
सदस्य  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(दीपक कुमार)  
अध्यक्ष  
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

क्रमांक :- राजस्व/2022/

तिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक :- 12.03.2022

उपखण्ड अधिकारी बुहाना